

कार्यालय अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,पातालदेवी अल्मोड़ा।

निविदा सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इच्छुक, निविदाताओं से अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,पातालदेवी, अल्मोड़ा में 01 वर्ष के लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित संख्या
1	संस्था में विभिन्न कार्यों के लिए दुग्धशाला, कार्यालय एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्रों हेतु अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व अति कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना	70
2	दुग्धशाला गेट हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना	09

निविदा फार्म 25.08.2025 तक दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालयी कार्य दिवस/अवधि में दुग्ध संघ कोषागार से टैन्डर फार्म कीमत रु0 2000+18% जी0एस0टी0 सहित कुल मु0 2,360 मात्र प्रति फार्म नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं जिसे यू.सी.डी.एफ.लि. हल्द्वानी (नैनीताल) की वैवसाईट www.ucdfaanchal.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वैवसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा पत्र के साथ मु0 2360.00 की राशि का बैक ड्राफ्ट जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के पक्ष में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य है। निविदायें 25.08.2025 के अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी, नियम व शर्त निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रखीकृत/अरखीकृत करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रधान प्रबन्धक



अल्मोड़ा दुर्घ उत्पादक साहकारी संघ लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा

निविदा प्रपत्र श्रमिक कान्ट्रेक्ट (वित्तीय विड हेतु)

01. निविदादाता का नाम –

02. निविदादाता का पता –

(अ) स्थाई पता –

(ब) पत्राचार का पता –

03. कार्य का अनुबंध –

04. निविदा क्रय हेतु जमा की गई धनराशि की रसीद सं धनराशि दि

05. निविदा के समक्ष अर्नेस्ट मनी का विवरण ड्रापट सं धनराशि दि

06. कमीशन चार्जेज की दरें प्रतिशत में अंकों में शब्दों में

07. संलग्नक :— तकनीकी विड (नियम एवं शर्तें)

दिनांक स्थान उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं और मेरी जानकारी पूर्ण रूपेण सही है, यदि कोई भी सूचना या सूचनायें गलत पाई जाती हैं, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दे। साथ ही मेरे द्वारा निविदा सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तें भली-भाँति पढ़ लिये गये हैं।

हसराक्षर निविदादाता

नाम

पिता का नाम

पूरा पता

फर्म का नाम

मोबाइल नं.

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पातालदेवी, अल्मोड़ा

निविदा प्रपत्र श्रमिक कान्ट्रेकट (तकनीकी विड हेतु)

निविदा फार्म मूल्य
जी.एस.टी. सहित रु० 2,360.00

01. निविदादाता का नाम –

02. निविदादाता का पता –

(अ) स्थाई पता –

फोटो

(ब) पत्राचार का पता –

.....

.....

03. कार्य का अनुभव –

04. श्रम विभाग उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

05. भविष्य निधि कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की तथा सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

06. वरतु एवं सेवाकर का भुगतान शासन के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।

07. संलग्नक :- तकनीकी विड (नियम एवं शर्तें)

दिनांक स्थान उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मैंने स्वयं भरी / भरवाई हैं और मेरी जानकारी पूर्ण रूपेण सही है, यदि कोई भी सूचना या सूचनायें गलत पाई जाती हैं, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध को विना नोटिस दिये निरस्त कर दे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम

पिता का नाम

पूरा पता

फर्म का नाम

मोबाइल नं.

नियम एवं शर्तें

विभिन्न कार्यों के लिये श्रमिक उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित शर्त

प्रधान प्रबन्धक, अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अल्मोड़ा, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा एवं सम्बन्धित निविदादाताओं को जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा के मध्य निम्न शर्तों के आधार पर (01) वर्ष की अविधि के लिए अनुबन्ध किया जायेगा।

- यह कि निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के लिफाफे पर अपना नाम, पूर्ण पता व संदर्भित कार्य का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
 - यह कि निविदादाता के निविदा फार्म संस्था में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर तथा निविदा बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।
 - यह कि द्वितीय पक्ष न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की दरों से कम मजदूरी श्रमिकों को नहीं देगा।
 - यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा टेंडर फार्म पर कटिंग/ओवरराइटिंग पर निविदादाता द्वारा द्वारा कतापि कटिंग/ओवरराइटिंग स्वीकार्य नहीं होगी तथा ऐसा पाये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता का टेंडर वैध नहीं माना जायेगा।
 - निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिसके लिये ₹0 200.00 (दो सौ) मात्र नकद जमा कर सदस्यता शुल्क को संघ के कोषागार में जमा करेगा।
 - निविदादाता द्वारा ₹0 75,000.00 (पिचहत्तर हजार) मात्र अर्नेस्ट मनी के रूप में संघ कोषागार में जमा कर रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी होगी या उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट जो दुग्ध संघ, अल्मोड़ा (प्रथम पक्ष) के नाम देय होगा, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
 - यह कि अनुबन्ध एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा, किन्हीं अपरिहार्य कारणवश यह अनुबन्ध अवधि को 03-03 (तीन-तीन) माह के लिये दो बार बढ़ाई जा सकती है।
 - यह कि सरकार द्वारा सेवा पर लगाये आयकर की कटौती निविदादाता करके प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान जमा किया जायेगा।
 - निविदादाता को श्रम विभाग का वैद्य पंजीकृत लाईसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - यह कि निविदादाता का भविष्य निधि संगठन (EPFO) विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वैद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - यह कि निविदादाता का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वैद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - यह कि निविदादाता का वस्तु एवं सेवा कर GST कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - यह कि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति उपरान्त निर्धारित जमानत धनराशि ₹0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) मात्र नकद, बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा (जो दुग्ध संघ के पक्ष में हो) जमानत के रूप में दुग्ध संघ के कोषागार में जमा करेगा।
 - वस्तु एवं सेवाकर इत्यादि प्रथम निविदादाता द्वारा शासन के नियमों के अनुसार जमा किया जायेगा तथा उसकी रसीद की छायाप्रति संघ कार्यालय में प्रत्येक माह जमा की जायेगी, बिल में वस्तु एवं सेवा कर का रजिस्टर्ड नं० अंकित करना होगा तथा उसकी प्रमाणित छायाप्रति निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड में संलग्न करनी होगी।
 - यह कि प्रथम पक्ष की मांगनुसार निविदादाता द्वारा द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को किये गये मासिक भुगतान भविष्य निधि कार्यालय में जमा ₹0पी०एफ० धनराशि आदि की रसीद/पंजिका की छायाप्रति प्रत्येक माह के बिल के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी तथा वेतन का भुगतान उनके नियुक्त स्थान पर करना होगा। ₹0पी०एफ० कार्यालय में जमा की गई धनराशि बिलों में दर्शित धनराशि से अधिक/कम जमा नहीं होनी चाहिए अन्यथा अन्तर धनराशि की कटौती आपके बिलों से कर ली जायेगी।

16. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत (श्रेणीवार) प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृत बैठन/मजदूरी जो कि निविदादाता द्वारा द्वारा बिल में दर्शायी जायेगी उस बैठन/मजदूरी का पूर्ण भुगतान निविदादाता द्वारा सम्बन्धित श्रमिकों को किया जाना होगा अर्थात् सरकार द्वारा लगाये वस्तु एवं सेवाकार को छोड़कर समर्त करें का भुगतान/प्रतिपूर्ति निविदादाता द्वारा अपने कमीशन धनराशि से की जायेगी।
17. यह कि प्रथम पक्ष के अल्मोड़ा स्थित दुखशाला कार्यालय एवं जनपद के निभिन्न अवशीतक केन्द्रों एवं क्रिय केन्द्रों के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक की माँगानुसार प्राप्त एवं गति पाली में कामगार उपलब्ध कराने होंगे।
18. यह कि निविदादाता द्वारा लेबर एक्ट के नियमों एवं प्राविधानों के अनुरूप समरत बांचित अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजिकाओं के प्रथम पक्ष को नियमित रूप से उपलब्ध कराने होंगे।
19. यह कि निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये श्रमिक की मासिक उपस्थिति का बिल माह के दिनांक 2 से 4 की तिथि के बीच सम्बन्धित अनुभागों से कार्यों का सत्यापन करवाकर प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे एवं प्रचलित स्वीकृत मजदूरी के दरों के अनुसार अपने श्रमिकों को मासिक मजदूरी का भुगतान संस्था के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक जो श्रमिक जहाँ है, भुगतान करना होगा तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिकों को किये गये भुगतान की रक्त सत्यापित प्रति सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
20. यह कि निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधियों, जैसे-डेरी पर्यवेक्षक, शिपट प्रभारी, सम्बन्धित अनुभाग प्रभारियों, के निर्देशों का पालन किया जायेगा। निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये किसी भी श्रमिक द्वारा सम्बन्धित अधिकृत अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने, चोरी करने, प्रथम पक्ष की सम्मति को क्षति पहुँचाने अथवा संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर प्रधान प्रबन्धक द्वारा द्विये गये निर्देशों के आधार पर तत्काल कार्य से पृथक् करना होगा। निविदादाता के किसी श्रमिक द्वारा संस्था की किसी प्रकार की क्षति करने पर निविदादाता को क्षति की दोगुनी धनराशि प्रथम पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करनी होगी।
21. यह कि निविदादाता द्वारा कान्ड्रेक्ट लेबर (रिगलेन एवं एचिलिशन) ऐक्ट, 1970 के अन्तर्गत अपने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिये जो भी औपचारिकता पूर्ण करने के लिये प्रथम पक्ष के सहयोग की आवश्यकता हो, तो उसे प्रथम पक्ष द्वारा पूरा किया जायेगा। औपचारिकता में किसी भी कमी के लिये प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की दशा में वर्कमैन कम्पनसेशन ऐक्ट के अन्तर्गत किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. यह कि प्रथम पक्ष, निविदादाता के द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का भुगतान निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों के आधार पर करेगा। प्रथम पक्ष का इस सम्बन्ध में किसी भी श्रमिक से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। निविदादाता प्रत्येक माह प्रथम पक्ष को यह प्रमाण पत्र अवश्य देगा कि उसके किसी श्रमिक को कोई बेतन अथवा बकाया धन उस पर आदा करने को बकाया नहीं है तथा निविदादाता द्वारा कार्य पर नियोजित कोई भी श्रमिक किसी भी दशा में किसी भी योजना/कार्य के लिये प्रथम पक्ष का कर्मचारी नहीं माना जायेगा।
23. यह कि निविदादाता द्वारा जचित ढंग से कार्य न करने अथवा इस अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर प्रथम पक्ष को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आपने किसी भी अधिकार पर बिना कोई प्रमाण डाले अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार होगा, जिन परिस्थितियों में निविदादाता प्रथम पक्ष को होने वाले किसी भी क्षतियों/क्षतिपूर्तियों की प्रतिपूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा और प्रथम पक्ष को उक्त धनराशि को निविदादाता द्वारा जमा जमानत की धनराशि व उसके देयकों से काटने का पूर्ण अधिकार होगा।
24. यह कि श्रमिकों का पीएफ० मध्ये नियोक्ता अंशदान प्रथम पक्ष द्वारा ई.पी.एफ. नियमों के तहत समय से जमा किया जायेगा, जो नियमित रूप से निविदादाता द्वारा श्रमिकों की ई.पी.एफ० धनराशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराई जायेगी तथा इससे सम्बन्धित समस्त रिकार्ड/अभिलेख निविदादाता द्वारा रखा जायेगा तथा अन्य भुगतान/प्रतिपूर्ति निविदादाता को स्वयं करना होगा। श्रमिकों के बेतन से काटे गये ई.पी.एफ अंशदान को समय से जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।



25. यह कि श्रमिकों को युप ग्रेचुली की कार्यवाही निविदादाता द्वारा की जायेगी।

26. यह कि निविदादाता द्वारा श्रम निधि के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपों पर मजदूरी पुस्तिका, पर्ची भुगतान की गयी मजदूरी का रजिस्टर तथा मजदूरी के लिये किये गये जुमाने और कटौतियों का रजिस्टर आदि निविदादाता द्वारा नियमित रूप स्थेजे जायेगे और प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि के निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। इस अभिलेख को मासिक रूप से संखा के प्रतिनिधि को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

27. यह कि निविदादाता का कार्य समाप्त हो रहा है अथवा अपने अनुबंध के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो रहा हो अथवा इस अनुबंध में किसी भी उपबन्धों अथवा ठेके पर लागू होने वाली किन्हीं शर्तों का पालन न हो, तो इस स्थिति में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस कार्ड्रेट के अन्तर्गत अन्य किन्हीं भी अधिकारों अथवा उपबन्धों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह ठेका तुरत्त समाप्त कर दे, निविदादाता की लापरवाही अथवा उचित श्रमिक उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रथम पक्ष की देय धनराशियों/हनियों अथवा उठाये गये प्रशासनिक खर्चों का व्यय निविदादाता की देय धनराशि अथवा जमा जमानत या देय बिलों से प्रथम पक्ष को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. यह कि प्रथम पक्ष व निविदादाता के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में निबन्धक,डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा,जो दोनों पक्षों को मात्य होगा।

29. निविदा हेतु निर्धारित अहता पूर्ण न होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

30. यह कि निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह श्रमिकों को किये गये भुगतान की छायाप्रति एवं उनके ई०पी०एफ० में जमा की गई धनराशि व अकाउण्ट नं० महित प्रत्येक माह लेखा अनुभाग को उपलब्ध कराना होगा, तत्पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा बिलों का भुगतान किया जायेगा।

31. निविदादाता की जमानत धनराशि टेप्डर समाप्त होने की दशा में 03 (तीन) माह उपरान्त अथवा अंकेक्षण (जो भी पहले हो) हो जाने के उपरान्त वापस की जायेगी।

32. निविदादाता द्वारा श्रमिकों के सरकारी नियमनुसार ई०एस०आई० देय होगा प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई काटा जाना आवश्यक होगा एवं ई.एस.आई के लाभ से श्रमिकों को अवगत कराना होगा।

33. यह कि निविदादाता द्वारा अनुबंध अवधि के मध्य में कार्य छोड़ा जाता है, तो जमा की गई जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

34. उत्तराखण्ड अधिग्राहि नियमावली, 2017 के अनुसार किसी भी निविदादाता को सब कार्ड्रेट अथवा सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

35. निविदादाता अथवा निविदादाता का अधिकृत प्रतिनिधि कभी भी दुष्ट संघ, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा काली सूची में किया गया हो अथवा संस्था का विवादित निविदादाता रहा हो ऐसी निविदा के दोसान अथवा निविदा के पश्चात् संज्ञान के आने पर निविदा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी एवं सफल हितीय निविदादाता को स्वीकृत दरों पर निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी।

36. निविदा हि निविदा (दू बिड) प्रणाली के अधीन होगी। तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाएं में बन्द कर एक-एक बड़े लिफाएं में बन्द किया जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड में औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा।

37. निविदा की दरों जी०एस०टी० को छोड़कर होंगी। समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित जी०एस०टी० दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

38. निविदादाता को ₹० 100.00 (एक सौ) मात्र के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें/उनकी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

39. यदि दो या दो से अधिक निविदा में दर प्रतिशत एकसमान होने पर निम्नवत् क्रमशः वरीयता प्रदान की जायेगी।

- स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर को जिसने इस संस्था में पूर्व में कार्य किया हो तथा उनका कार्य सत्तोषजनक रहा हो को प्रथम वरीयता दी जायेगी।



- जिन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पूर्व में इस संख्या में कार्य किया है, तथा उनका कार्य सत्तोषजनक रहा है, को हितीय वरीयता दी जायेगी।
 - जल्तराखण्ड के अन्य दुग्ध संघों में कार्य अनुभव है एवं कार्य सत्तोषजनक रहा है, को दृतीय वरीयता रहेगी।
 - उत्तराखण्ड राज्य की पंजीकृत फर्म को चतुर्थ वरीयता।
 - एम.एस.एम.ई. वाले फर्म को पंचम वरीयता दी जायेगी।
 - जिन फर्मों का उन्न ओवर 03 वर्ष का सर्वाधिक रहा हो, को उन्न ओवर के अनुसार छठी वरीयता रहेगी।
 - उपरोक्त शर्त समान होने पर लॉटरी पद्धति से निर्णय लिया जायेगा।
40. यदि कोई निवेदादाता की अर्नेस्ट मनी संख्या में जमा है तो पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी भी मात्र होगी।

धोषणा

मेरे हाथ उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को भली-भौंति पढ़ एवं समझ लिया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

हस्ताक्षर निवेदादाता
नाम
पिता का नाम
पूरा पता
फर्म का नाम
मोबाइल नं०

